

उन्नत भारत के निर्माण में महात्मा गाँधी की विचारधारा और कार्यों का मूल्यांकन

Dr. Anil Kumar*

B.P.S.M.V., Regional Center, Lula Ahir Teaching Assistant, History

शोध सार – महात्मा गांधी को “महात्मा” उनके महान कार्यों और महानता के लिए कहा जाता है जो की उन्होंने जीवन भर किया। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसक कार्यकर्ता थे और अपने पुरे जीवन काल में जब वे ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए अग्रणी थे, अहिंसा का पालन किया। भारतीय समाज से छुआछूत को हटाने के लिए, भारत में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए गांवों का विकास करने के लिए आवाज उठाई, भारतीय लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए कठिन प्रयास किये। उन्होंने आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए सामने लाया और उनकी सच्ची स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सबसे पहले गान्धी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष हेतु रोजगार करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिये अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाये। इन सबमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाये गये नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। इस शोध-पत्र में उन्नत भारत के निर्माण में महात्मा गाँधी की विचारधारा और कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द: अहिंसा, आंदोलन उन्नत भारत, विचारधारा और स्वतंत्रता।

-----X-----

भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया, इस कारण उन्हें 'राष्ट्रपिता' भी कहा गया। गाँधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से आरम्भ किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए आन्दोलन चलाया और इसमें सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष के दौरान ही उन्होंने अहिंसा तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों को अपना आरम्भ किया। 1915 ई0 में भारत में वापिस आने तक उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल चुकी थी। गाँधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गाँधी जी को परामर्श दिया था कि वह भारतीय राजनीति में शीघ्र प्रवेश न करें बल्कि कुछ समय, वह भारतीय राजनीति का अच्छी प्रकार ही निरीक्षण करें। अपने राजनीतिक गुरु के परामर्श को स्वीकार करते हुये ही गाँधी जी ने 1919 ई0 से पूर्व तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना आरम्भ नहीं किया था।

सन् 1919 में, ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ निरंकुश कानून बनाने का यत्न कर रही थी। उस समय भारत सरकार (अंग्रेजी सरकार) ने केन्द्रीय विधानमण्डल में जो विधेयक पेश किया उसे रौलट एक्ट कहा जाता है। इस विधेयक के अन्तर्गत पुलिस, मजिस्ट्रेट और नौकरशाही (ब्रिटिश सरकार) को निरंकुश शक्तियाँ दी जा रही थी। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन विधेयकों को पास कर दिया गया तो वह सत्याग्रह करेंगे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने गाँधी जी की इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उन दो विधेयकों को पास करके कानून का रूप दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध गाँधी जी ने 6 अप्रैल, 1919 को सम्पूर्ण देश में हड़ताल (बन्द) करने का निमन्त्रण दिया। इस 'बन्द' से गाँधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। गाँधी जी के नेतृत्व में 1920 ई0 में असहयोग आन्दोलन, 1930 ई0 और 1932 ई0 में

सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा 1942 ई0 में भारत छोड़ो आन्दोलन चलाए गए। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अहम् भूमिका निभाई। सन् 1947 में भारत का विभाजन गाँधी जी की अन्तात्मा के विरुद्ध हुआ था। परन्तु आजाद भारत का नेतृत्व गाँधी जी के भाग्य में नहीं लिखा था। 30 जनवरी, 1948 को नाथू राम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने तीन गोलियाँ चलाकर गाँधी जी की हत्या कर दी।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत तीव्रता आ गई। महात्मा गाँधी जी जनवरी, 1915 ई0 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। उस समय तक गाँधी जी की प्रसिद्धी सारे भारत में फैल चुकी थी। उनकी ख्याति केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं थी वरन् जन साधारण भी उनके नाम और कार्यों से परिचित था। गाँधी जी ने सारे देश की यात्राएँ की तथा 1915 ई0 में अहमदाबाद के पास 'साबरमती आश्रम' की स्थापना की जिसमें देश के सभी भागों से आये हुये समर्थक रहने लगे। शीघ्र ही यह आश्रम, गाँधी जी के संघर्ष का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। महात्मा गाँधी का कथन था कि, "मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा जिसमें गरीब लोग यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी आवाज भी प्रभावकारी रही। ऐसा भारत जिसमें ऊँची और नीची जाति के लोग नहीं होंगे। अपितु सभी सम्प्रदायों के लोग पूर्ण सद्भाव के साथ रहेंगे। ऐसे भारत में छूआछूत के अभिशाप की गुंजाइश नहीं होगी, स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगी। यही है, मेरे सपनों का भारत।" यद्यपि गाँधी जी ने अपने विचारों को किसी विशेष वाद का नाम नहीं दिया परन्तु मानव जीवन के सम्बन्ध में तथा राजनीतिक समाज के सम्बन्ध में गाँधी जी के अनेक महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें हम 'गाँधीवाद' का नाम दे सकते हैं। गाँधी जी के विचारों पर प्रसिद्ध विद्वान जॉन रास्किन, टॉलस्टाय तथा थ्योरो के लेखों का बहुत प्रभाव था। इसके अतिरिक्त वेदों, श्रीमद् भगवद् गीता, बाइबल तथा कुरान ने भी गाँधी जी के विचारों को बहुत प्रभावित किया था।

गाँधी जी शासन की शक्तियों का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि केन्द्रीयकरण निरंकुशता, अत्याचार तथा घमण्ड को जन्म देता है। इससे व्यक्तियों की कार्यकुशलता, नैतिक स्वतन्त्रता तथा आत्म-निर्भरता नष्ट हो जाती है। गाँधी जी चाहते थे कि राष्ट्र की शक्ति को स्थानीय संस्थाओं में बाँट देना चाहिये ताकि शक्ति का अधिक से अधिक भाग, ग्राम पंचायतों को मिल सके। गाँधी जी के अनुसार प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होगी और स्व-शासित गाँव, एक संघ की ईकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। इस समाज में जेलें नहीं, अपितु छोटे-छोटे स्व-शासित गाँव,

पंचायतें तथा सुधार गृह होंगे जहाँ अपराधियों को सुधारने तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए यत्न किये जायेंगे।

अहिंसा, गाँधी जी की राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न अंग था। अहिंसा का सिद्धान्त उनके दर्शन की आत्मा था। उनका विचार था कि जिस प्रकार पशु जगत में हिंसा एक आवश्यक नियम है, उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। गाँधी जी के अनुसार अहिंसा केवल निषेधात्मक विचार ही नहीं अपितु यह सकारात्मक विचार भी है। जहाँ इसका अर्थ किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाना नहीं है, उसी प्रकार, दूसरे के प्रति भलाई करना भी इसका लक्षण है। गाँधी जी का विश्वास था कि हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, शांति स्थापित नहीं कर सकती। क्योंकि वह अपने से बड़ी हिंसा को जन्म देती है। भारतीय समस्याओं का मुख्य समाधान इसी में है कि मौलिक समस्याओं की ओर अहिंसात्मक दृष्टि से देखा जाये। व्यावहारिक जीवन में इस नियम का पालन करने से ही प्रजातन्त्र तथा मनुष्य के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास सम्भव है। गाँधी जी की दृष्टि में अहिंसा, बहादुर और सुदृढ़ व्यक्तियों का गुण है तथा इसके लिए निडरता की आवश्यकता है। गाँधी जी ने अहिंसा को गरीबों और कमजोर व्यक्तियों का एक शक्तिशाली शस्त्र बताया है जिसके द्वारा वह अन्याय तथा अत्याचार का सामना कर सकते हैं गाँधी जी का विचार था कि प्यार, आन्तरिक पवित्रता, निडरता, सच्ची लगन तथा निःस्वार्थ भावना अहिंसा के मुख्य आधार हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं हैं, वह सच्चे अर्थों में अहिंसा का पुजारी नहीं बन सकता।

गाँधी जी ने भारतीय राजनीति में अनेक परीक्षण किये लेकिन सत्याग्रह ही सबसे उपयुक्त साधन प्रमाणित हुआ। यह एक तरह से अन्तिम हथियार था और इसी के द्वारा जनता को अपील करके जनमत तैयार किया गया। कांग्रेस के बहुत से नेताओं का यह तर्क था कि स्वतंत्रयोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन या सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन गाँधी जी इन नेताओं के इस तर्क से असहमत थे। गाँधी जी जनतांत्रिक व्यवस्था में इसके सीमित प्रयोग के पक्षधर थे। इस प्रकार, गाँधी जी के सत्याग्रह से भारतीय राजनीति को सच्ची मानसिकता, आत्म-बलिदान, अनुशासन और ध्येय की वस्तुनिष्ठा प्राप्त हुई। गाँधी जी की यह आदर्शवादी विचारधारा अन्याय और आक्रामकता के विरुद्ध यह एक ऐसा यंत्र प्रमाणित हुई जिसके द्वारा निरंकुश एवम् स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध शांति और संवैधानिक तरीकों का प्रयोग किया गया। जब भी सच्चे ध्येय के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया गया तब इसमें सफलता अवश्य मिली।

इससे जनमत को जगाने, शिक्षित करने और संगठित करने में अवश्य लाभ प्राप्त हुआ।

गाँधी जी सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने के समय कहा करते थे कि सत्याग्रही को रचनात्मक कार्यक्रम को भी साथ-साथ लेकर चलना चाहिए। जो लोग सत्याग्रह में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे वे रचनात्मक कार्यक्रम में अपना सहयोग दे सकते थे। सत्याग्रही को व्यक्ति का ही नहीं बल्कि विदेशी पद्धतियों एवम् प्रणालियों की भी अवेहलना करनी चाहिए जिससे देश में व्याप्त बुराईयों का अन्त हो सके। सत्याग्रह आन्दोलन में अन्तात्मा की आवाज का विशेष महत्व था जिसे सत्याग्रही रणनीति की सभी क्रियाविधियों की जानकारी मिली। इसके अन्तर्गत हड़ताल, सामाजिक एवम् आर्थिक बहिष्कार, धरने देना, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, हिजरत और उपवास आदि साधन सम्मिलित थे। उदाहरणस्वरूप; हड़ताल के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना था। इसका ध्येय सभी सरकारी कार्य बन्द करके सरकार तथा सरकारी संस्थाओं को प्रभावित करना था। गाँधी जी ने हड़तालों का भी समय निश्चित किया अन्यथा ये उद्देश्य प्रभावहीन हो जाते। गाँधी जी के अनुसार हड़ताल, अहिंसात्मक पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक बहिष्कार के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो जनमत की अवेहलना करते हों। इसमें उग्रता नहीं होनी चाहिए। सविनय अथवा नागरिक अवज्ञा को उन्होंने सबसे अधिक प्रभावशाली यन्त्र बताया जिसके माध्यम से अनैतिक नियमों को भंग करना था। गाँधी जी के अनुसार 'सविनय अवज्ञा' हृदय से सम्मानपूर्ण और संयमशील होनी चाहिए। इसी प्रकार, उपवास के माध्यम से संस्था, शासन तथा अधिकारियों पर दबाव बनाने की रणनीति थी। गाँधी जी का कथन था कि सार्वजनिक उपवास से जनता में आत्मशुद्धि और आत्म-शक्ति बढ़ती है। इससे अन्याय के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध करने की क्षमता मिलती है। वस्तुतः उपरोक्त सभी साधनों का, गाँधी जी ने उपरोक्त सभी साधनों का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भरपूर प्रयोग किया ताकि न्याय और सत्य को भारतीय राजनीति में सुदृढ़ बनाया जा सके।

गाँधी जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनकी सम्पूर्ण विचारधारा धर्म पर आधारित थी। वह राजनीति और धर्म का समन्वय चाहते थे। उनका कहना था कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार धर्म के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है। परन्तु यहाँ यह बता देना उचित होगा कि गाँधी जी का धर्म, किसी विशेष धार्मिक समुदाय के

सिद्धान्तों की चारदीवारी में सीमित नहीं था बल्कि यह एक विश्वव्यापी धर्म था अर्थात् यह धर्म वास्तव में विश्वव्यापी नैतिक सिद्धान्तों का समूह था। गाँधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ निष्काम भाव से सत्य की खोज करना था। वह कहते थे कि धर्म एक ऐसा कर्तव्य है जिसे हमें जीवन का प्रत्येक कार्य करते समय निभाना चाहिए। गाँधी जी का कथन था कि, "जो धर्म जीवन में हमारा पथ-प्रदर्शन नहीं करता, वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। हिन्दू धर्म में विश्वास करते हुये भी उन्होंने इस धर्म की त्रुटियों की सदा निन्दा की और इसकी छूआछूत जैसी बुराईयों की आलोचना की। वह झूठ, छल-कपट, भ्रष्टाचार आदि को राजनीति में स्थान देने के विरुद्ध थे। वह धर्म और राजनीति में समन्वय चाहते थे। गाँधी जी ऐसे विश्वास द्वारा राजनीति को पवित्रता प्रदान करना चाहते थे। ऐसे धर्म से राजनीति को अलग करना गाँधी जी को मानवता की हत्या करने के समान प्रतीत होता था। उनके अनुसार, समाज में से धर्म को निकालना एक व्यर्थ प्रयास है। परन्तु यदि यह प्रयास सफल हो जाये तो इसका तात्पर्य समाज में तबाही होगी। अन्धविश्वास, बुरे रीति-रिवाज तथा अन्य त्रुटियाँ समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं जो थोड़े समय के लिए धर्म के रूप को बिगाड़ती हैं और ऐसी बुराईयाँ स्थिर नहीं रहती परन्तु धर्म सदा अमर रहता है।

गाँधी जी की व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता में गहरी आस्था थी। जिनको तीव्र संघर्ष और कष्ट सहन करके ही प्राप्त किया जा सकता था। गाँधी जी ने अपने एक लेख में कहा था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष का प्रसार करना भारतीयों का धर्म था क्योंकि वे उनके अत्याचार और शोषण का शिकार हो रहे थे। वे बाल गंगाधर तिलक के इस कथन से पूर्ण सहमत थे कि भारतीयों के लिए स्वराज्य प्राप्त करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। गाँधी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और नागरिक दोनों ही स्वतन्त्रताओं को सर्वोपरि माना। उन्होंने भाषण, लेखन, संगठन आदि स्वतंत्रताओं को स्वराज्य की आधारशिला माना। गाँधी जी का विचार था कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसे कायम रखने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने से संकोच नहीं करना चाहिए। गाँधी जी के अनुसार स्वतन्त्रता का न होने का तात्पर्य व्यक्ति तथा राष्ट्र की मृत्यु है क्योंकि स्वतन्त्रता के बिना कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति किसी भी रूप में विकास नहीं कर सकता। गाँधी जी ने स्वयं भी देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक यातनाएँ सहन की थी। वे पक्के राष्ट्रवादी थे।

स्वराज्य के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचारों के दो पक्ष थे। प्रथम, वे स्वराज्य का अर्थ यह मानते थे कि स्वराज्य एक सकारात्मक विचारधारा है जिसका आन्तरिक अर्थ आत्म-शासन है। इस पक्ष से वह स्वराज्य का अर्थ, हर प्रकार के प्रतिबन्धों में स्वतन्त्रता के रूप में नहीं अपितु आत्मशासन और आत्म-संयम के रूप में लेते थे। यह उनके स्वराज्य का आध्यात्मिक पहलू था। द्वितीय व्यावहारिक पक्ष से वह स्वराज्य का अर्थ मानते थे कि लोगों को इच्छानुसार अपने भाग्य को अपने ही प्रयासों द्वारा निर्माण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। गाँधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वतन्त्रता का आदर्श स्वयं में एक अन्तिम लक्ष्य नहीं है बल्कि यह तो साधारण व्यक्तियों को सच्चे अर्थों में स्वराज्य का आनन्द लेने के योग्य बनाने की दिशा में प्रथम कदम है। गाँधी जी ने 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा था कि उनके कल्पित स्वराज्य में निर्धन, धनी लोगों के साथ समान रूप में अपने जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा किसी को भी भोजन तथा वस्त्र की कमी नहीं होगी। प्रत्येक निर्धन तथा धनी व्यक्ति को समान रूप से स्वतन्त्रता का फल भोगने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार, स्वराज्य से गाँधी जी का अभिप्राय भारत की उस सरकार से है, जो स्त्री-पुरुष तथा अमीर-गरीब का भेद किए बिना किसी ऐसी व्यस्क जनता के बहुमत से बनी हो जो राज्य को श्रम देते हों। गाँधी जी के अनुसार स्वराज्य थोड़े से लोगों के सत्याग्रह करने से नहीं आयेगा अपितु स्वराज्य तब होगा जब देश की सम्पूर्ण जनता में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि वह सत्ता का दुरुपयोग होने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सके।

गाँधी जी पूर्ण रूप से लोकतन्त्रवादी थे। उनका लोकतन्त्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र भी इस दायरे में आते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों में सहनशीलता, अनुशासन, अहिंसा तथा त्याग की भावना हो। उनकी दृष्टि में सरकार के स्वरूप में राजनीतिक परिवर्तन करने से सच्चे लोकतन्त्र की प्राप्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए शासकों तथा शासितों के दिलों में परिवर्तन करना आवश्यक था। लोकतन्त्र में शासकों के लिए जनमत का सम्मान करना बहुत अनिवार्य है। गाँधी जी चाहते थे कि उनके स्वप्न का लोकतन्त्र, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा अहिंसक सिद्धान्तों पर आधारित होगा। वह कहते थे कि लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना अहिंसा तथा समानता के आधार पर की जानी चाहिए। उन्हीं के शब्दों में, "वास्तविक प्रजातन्त्र वही है जिसमें दुर्बल तथा बलवान् को समान अवसर प्राप्त हो और ऐसा केवल अहिंसा के मार्ग द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ऐसे लोकतन्त्र में व्यक्तियों को अधिक से अधिक

स्वतन्त्रता प्राप्त होगी तथा राजनीतिक शक्ति को थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जायेगा। गाँधी जी का विचार था कि पश्चिमी देशों में लोकतन्त्र का अस्तित्व केवल आंशिक रूप में ही है क्योंकि वास्तविक अर्थों में वहाँ के लोग शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेते। गाँधी जी प्रत्येक उस व्यक्ति को मताधिकार देना चाहते थे जो अपने हाथों से कार्य करता हो। लोकतन्त्र की सफलता के लिए गाँधी जी न केवल राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता को आवश्यक समझते थे अपितु नैतिक स्वतन्त्रता को वह सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। 'बहुमत के शासन' पर उनका कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वह अनुभव करते थे कि प्रचलित संसदीय लोकतन्त्रीय प्रणालियों में लोगों का बहुमत शासन नहीं करता बल्कि राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख नेता ही अपने विचारों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। गाँधी जी ऐसे लोकतन्त्र के समर्थक थे जहाँ लोग आन्तरिक पक्ष से पूर्ण रूप में स्वतन्त्र हों तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए निडरता तथा योग्यता रखते हों।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गाँधी जी पक्के राष्ट्रवादी थे। परन्तु साथ ही उनके अन्तर्राष्ट्रवादी होने के सम्बन्ध में भी कोई सन्देह नहीं है। कुछ विचारकों को राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी तत्व दिखाई पड़ते हैं परन्तु गाँधी जी ऐसे विचार के समर्थक नहीं थे बल्कि उनका दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद को अवश्य ही परस्पर साथ चलना चाहिए। वह इस विचार से सहमत नहीं थे कि राष्ट्रवाद घृणा या कोई ओर बुराई उत्पन्न करता है बल्कि गाँधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद बुराई नहीं है अपितु आधुनिक राष्ट्रों की संकीर्णता ही एक बुराई तथा विनाश का कारण है। गाँधी जी का विचार था कि व्यक्ति को, अन्तर्राष्ट्रवादी बनने से पूर्व राष्ट्रवादी होना अनिवार्य है। उनके विचार में यदि राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद में कोई विरोध पाया जाता है तो इसका मुख्य कारण एक जाति द्वारा दूसरी जाति की लूट अथवा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण है। यदि विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्र उतने ही वस्तुओं से सन्तुष्ट रहें जितनी कि उनके पास हैं तो राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो सकता। गाँधी जी ने 'यंग इण्डिया' में लिखा था कि मेरे विचार में राष्ट्रवादी बने बिना किसी के लिए अन्तर्राष्ट्रीयवादी बनना असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है यदि राष्ट्रवाद एक सच्चाई बन जाए, जिसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति स्वयं को संगठित करके एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के योग्य बन जाए। इस प्रकार गाँधी जी 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त के पक्षपाती थे। वह चाहते थे कि विश्व में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न

करे। राष्ट्रों में आपसी मेल-मिलाप समानता के आधार पर हो। कोई भी राष्ट्र झगड़ों का हल युद्ध से न करे। आपसी बातचीत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सुलझाई जानी चाहिएं। परतन्त्र राष्ट्र को स्वतन्त्र किया जाए और पिछड़े राष्ट्रों को उन्नत किया जाए। इस प्रकार, विश्व कल्याण की भावना बढ़ेगी तथा विश्व शान्ति स्थापित होगी।

बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों के आपसी सम्बन्धों के विषय में गाँधी जी के विचार, लोकतन्त्रीय प्रणाली की सफलता के लिए बहुत लाभदायक तथा उत्साहजनक हैं। उनका विचार था कि प्रत्येक समाज में अल्पसंख्यकों का होना स्वभाविक है। ये अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा भाषाई आधार पर हो सकते हैं। बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के आपसी सम्बन्धों की समस्या प्रत्येक समाज में विद्यमान है। गाँधी जी का कथन था कि इस समस्या को सुलझाने का विशेष उत्तरदायित्व बहुसंख्यकों का है। उनके विचारानुसार बहुसंख्यकों का यह कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के विचारों का भी सम्मान करें क्योंकि लोकतन्त्रीय शासन तभी ठीक हो सकता है यदि मतभेद रखने वाले अपने विचारों के सम्बन्ध में कठोर हठ न करें। कोई भी संगठन कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता यदि वह विभिन्न वर्गों में बँटा हुआ हो अथवा प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे के प्रति शिकायत करता हो तथा प्रत्येक अपने इरादे को किसी भी रूप में पूर्ण करने का प्रण किए बैठा हो। इस प्रकार गाँधी जी ने लोकतन्त्रीय प्रणाली में बहुमत तथा अल्पसंख्यक वर्गों को सहयोग के आधार पर उचित तथा न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने की प्रेरणा दी। यह गाँधी जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि स्वतन्त्र भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

मूल्यांकन:

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं जो आगे चलकर अन्य विद्वानों के लिए मार्गदर्शन का साधन बन गए। गाँधी जी भारत में एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना के पक्ष में थे जो सभी प्रकार की बुराइयों से रहित हो। उनका सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय आदि अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिए। गाँधी जी भारत में ऐसी व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थे जो अहिंसा और सत्यता पर आधारित हो। इस दृष्टि से उन्होंने सर्वोदय सम्बन्धी योजना प्रस्तुत की। गाँधी जी का सर्वोदय दर्शन स्वतन्त्रता, समानता, न्याय एवम् भाईचारे जैसी मान्यताओं पर आधारित था। गाँधी जी के हृदय में निर्धन व्यक्तियों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। गाँधी जी 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त को मानते थे। वे चाहते थे

कि विश्व के सभी राष्ट्रों की समस्याएँ शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएं। परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया जाये तथा पिछड़े राष्ट्रों को उन्नत करने में सहयोग किया जाये इससे शांति स्थापित होगी और विश्व कल्याण की भावना बढ़ेगी। गाँधी जी अपने प्रिय राष्ट्र-भारत को प्रगति के शिखर पर पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। भारतवासी, महात्मा गाँधी की विभिन्न क्षेत्रों में देन को सदैव स्मरण रखेंगे। डॉक्टर ए.सी. बैनर्जी के शब्दों में, "भारत के लोग चाहे महात्मा गाँधी के निजी मार्गदर्शन से वंचित हो गए परन्तु उनके द्वारा पीछे छोड़े गए आदर्श हमेशा अमिट रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

चड्ढा, योगेश, गाँधी: एक जीवन, आईएसबीएन 0-471-35062-1

फिशर, लुईस द एसेनसियल गांधी: उनके जीवन, कार्य और विचारों का संग्रह, प्राचीन: न्यूयार्क, 2002 (पुनर्मुद्रित संस्करण), आईएसबीएन 1-4000-3050-1

गाँधी, महात्मा (1994). महात्मा गाँधी के संचित लेख, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सुचना एवम प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

सोफ्री, गियान्नी (1995). गाँधी और भारत: केन्द्र में एक सदी, आईएसबीएन 1-900624-12-5

मूर्ती, श्रीनिवास महात्मा गाँधी और लियो टालस्टाय के पत्र लांग बीच प्रकाशन: लांग बीच, 1987 पीपी 13

पत्रिका- हरिजन, सितम्बर 21, 1934 ।

शर्मा, डॉ. योगेन्द्र कुमार, भारतीय राजनीति विचारक, दिल्ली, 2001, पृ0 241।

Corresponding Author

Dr. Anil Kumar*

B.P.S.M.V., Regional Center, Lula Ahir Teaching Assistant, History

dharam.jajoria@gmail.com